न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर

अध्यक्षता : ललित कुमार गुप्ता, आई.ए.एस.

सूचना का अधिकार प्रथम अपील संख्या :– 01/2018

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट**
दिनेश कुमार विश्नोई, प्लोट नं.8 सुस्वाणी माता कॉलोनी, मण्डोर रोड जोधपुर।		अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त (लोक सूचना अधिकारी) जोधपुर

अपील अंतर्गत धारा 19 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
विरुद्ध अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त,(लोक सूचना अधिकारी)

:: आदेश::

दिनांकः 16.5.2018

अपीलान्ट द्वारा कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी (अति. सम्भागीय आयुक्त) जोधपुर के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 24.11.2017 जो की कार्यालय मे दिनांक 27.11.2017 को प्राप्त हुआ, प्रस्तुत कर राष्ट्रीय राज मार्ग 65 के संबंध मे 6 बिन्दुओं पर सूचना चाही गयी थी। चाही गयी 30 दिन मे प्राप्त नही होने पर अपीलान्ट ने उक्त अपील प्रस्तुत कर चाही गयी सूचना शीघ्र उपलब्ध कराने का निवेदन किया है।

लोक सूचना अधिकारी ने प्रस्तुत अपील पर अपनी टिप्पणी मे अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध मे प्रार्थी को कार्यालय के पत्र क्रमांक सू.अ./एडीसीफ/73/2017/154––156 दिनांक 1.12.2017 के द्वारा सूचित किया गया कि उनके द्वारा चाही गयी सूचनाऐं सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर से संबंधित होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत 5 दिन के अन्दर स्थान्तरित कर दी

गयी है। इस प्रकार अधिनियम मे दिये गये प्रावधान अनुसार उचित कार्यवाही की गयी है। अतः अपीलान्ट की अपील को खारिज किये जाने का अनुरोध किया ।

हमने अपीलान्ट द्वारा अपील मे प्रकट तथ्यों एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही संबंधी पत्रावली का अवलोकन किया जिससे पाया गया कि अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त (लोक सूचना अधिकारी) जोधपुर ने प्रार्थी द्वारा चाही गयी सूचना अन्य विभागों से संबंधित होने के कारण निर्धारित समयावधि मे संबंधित विभागों को धारा 6(3) के अन्तर्गत स्थान्तरित कर प्रार्थी को अवगत कर दिया था। लोक सूचना अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही उचित प्रतीत होती है।

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है तथा अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त (लोक सूचना अधिकारी) जोधपुर द्वारा की गयी कार्यवाही को यथावत रखा जाता है। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो तथा अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त (लोक सूचना अधिकारी) की मूल पत्रावली मय निर्णय की प्रति के साथ लौटायी जावे।

(ललित कुमार गुप्ता)
सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

1. प्रतिलिपि– श्री दिनेश कुमार विश्नोइ, प्लाट नं. 8 सुस्वाणी माता कॉलोनी मण्डोर रोड, जोधपुर सूचनार्थ प्रेषित है।

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर